



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1987]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 5, 2012/आश्विन 13, 1934

No. 1987]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 5, 2012/ASVINA 13, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2012

का.आ. 2371(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पूर्व पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1205(अ), दिनांक 29 अक्टूबर, 2004 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की तालिका में, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28सी और 29 से संबंधित स्तम्भ (1), (2) और (3) के अंतर्गत प्रविष्टियां छोड़ दी जाएंगी।

[फा. सं. एनएच-14013/1/2012-पी एंड एम (पार्ट)]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण.—मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1205(अ), दिनांक 29 अक्टूबर, 2004 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT
AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2012

S.O. 2371(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1205(E), dated the 29th October, 2004, namely,—

In the Table to the said notification, the entries under column (1), (2) and (3) relating to National Highway numbers 28C and 29, shall be omitted.

[F. No. NH-14013/1/2012-P&M (Part)]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note.—The principal notification was published vide number S.O. 1205(E) dated the 29th October, 2004.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2012

का.आ. 2372(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोट परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 24 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्र. सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण	राज्य का नाम
"24.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2ए, सं. 7, सं. 11 [किमी 17.756 से किमी 42.525 (आगरा-उ. प्र./राजस्थान सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 19, सं. 24 [(किमी 27.62 से किमी 488.27 (हापुड तथा मुरादाबाद बाइपास सहित गाजियाबाद-मुरादाबाद-बरेली-सीतापुर-लखनऊ खंड) तक खंड को और किमी 180.325 पर आरओबी को छोड़कर], सं. 24ए, सं. 27 [किमी 0.000 (रारा सं. 2 का किमी 211.700) से किमी 5.410 (रारा 27 का नया संरेखण) तक खंड को छोड़कर], सं. 28बी, 28सी, सं. 29 [किमी 2.225 से किमी 208.500 (वाराणसी-गोरखपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 56 [किमी 11.500 से किमी 134.700 (लखनऊ-सुल्तानपुर) तक खंड को छोड़कर], सं. 58, [किमी 52.250 से किमी 152.00 (मेरठ-मुजफ्फरनगर-उ. प्र./उत्तराखंड सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 72ए, सं. 73, सं. 74, सं. 75 [किमी 90.00 से किमी 103.00 (म. प्र./उ. प्र. सीमा से झांसी) तक खंड को छोड़कर], सं. 76, सं. 86 [किमी 7.43 से किमी 130.100 (कानपुर-कबरई खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 87, [किमी 0.000 (रारा-24 का किमी 190.106) से किमी 43.30 (रामपुर-काठगोदाम खंड) (उ. प्र./उत्तराखंड सीमा) और किमी 8 पर एक छोटे पुल तथा किमी 30.050 पर एक बड़े पुल को छोड़कर], सं. 91 [किमी 23.600 से किमी 419.000 (गाजियाबाद-अलीगढ़-कानपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 91ए, सं. 92, सं. 93, [किमी 0.00 से किमी 79.00 (आगरा-अलीगढ़ खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 96, सं. 97, सं. 119, सं. 231 [किमी 0.720 से किमी 169.600 (रायबरेली-जौनपुर) तक खंड को छोड़कर], सं. 232ए [किमी 0.500 से किमी 66.000 {उन्नाव-लालगंज (रारा 232)} तक खंड को छोड़कर], सं. 233 और सं. 235 [किमी 7.469 से किमी 66.482 (मेरठ-बुलंदशहर) तक खंड को छोड़कर] के उतने भाग जो उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।	उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार"।

[फा. सं. एनएच-14013/1/2012-पी एंड एम (पार्ट)]

माया प्रकाश, उप-सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार का.आ.-1831 (अ), तारीख 14 अगस्त, 2012 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2012

S.O. 2372(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the schedule to the said notification, for serial number 24 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

"24	So much of National Highways No.2A, No.7, No.11 [excluding from Km 17.756 to Km 42.525 (Agra - Uttar Pradesh/Rajasthan Border)], No.19, No.24 [excluding from km. 27.62 to km. 488.27 (Ghaziabad - Moradabad-Bareilly-Sitapur-Lucknow including Hapur and Moradabad bypasses) and R.O.B. at km. 180.325], No.24A, No.27 [excluding from Km. 0.000 (Km. 211.700 of NH No.2) to Km. 5.410 (new alignment of NH 27)], No.28B, 28C, No.29 [excluding from km. 2.225 to km. 208.500 (Varanasi-Gorakhpur section), No.56[excluding from Km. 11.500 to Km. 134.700 (Lucknow-Sultanpur)], No.58 [excluding from Km. 52.250 to Km. 152.00 (Meerut- Muzaffarnagar - Uttar Pradesh /Uttarakhand Border)], No.72A, No.73, No.74, No.75 [excluding from km. 90.00 to km. 103.00 (section from Madhya Pradesh/Uttar Pradesh border to Jhansi)], No.76, No.86 [excluding From km. 7.43 to km. 130.100 (Kanpur to Kabrai section)] , No.87 [excluding from Km. 0.000 (Km. 190.106 of NH-24) to Km.43.30{ Rampur-Kathgodam Section)(Uttar Pradesh/Uttarakhand Border)} and a Minor bridge at Km. 8 and a Major bridge at km. 30.050), No. 91[excluding from km. 23.600 to km. 419.000 (Ghaziabad-Aligarh-Kanpur section)], No.91A, No.92, No.93 [excluding from km. 0.00 to km. 79.00 (Agra- Aligarh section), No.96, No.97, No.119, No. 231[excluding from km 0.720 to Km. 169.600 (Raibareli - Jaunpur)], No. 232 A [excluding from km. 0.500 to km. 66.000 {Unnao - Lalgarh (NH 232)}, No. 233 and No. 235 [excluding from Km. 7.469 to Km. 66.482 (Meetut- Bulandshahar)] as are situated within the State of Uttar Pradesh.	State Government of Uttar Pradesh".
-----	--	-------------------------------------

[F. No. NH-14013/1/2012-P&M (Part)]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note.—The principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 1831 (E), dated the 14th August, 2012.